बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

संकल्प

विषय :अभियंत्रण डिग्री तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में शाखा परिवर्तन के संबंध में।

राज्य सरकार द्वारा अभियंत्रण महाविद्यालयों तथा पोलिटेकनिक संस्थानों मे शाखा परिवर्तन हेतु पूर्व निर्गत क्रमशः विभागीय पत्रांक 174 दिनांक 11.02.2003 तथा पत्रांक 2493 दिनांक 10.09.2008 को संशोधन करते हुए सम्यक् विचारोपरान्त निम्नांकित निर्णय लिये गये हैं :–

1. डिग्री तथा डिप्लोमा संस्थानों में प्रथम वर्ष में बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता पर्षद् द्वारा आवंटित शाखा में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

2. अभियंत्रण डिग्री एवं डिप्लोमा के तृतीय सेमेस्टर के प्रारम्भ में समान संस्थान में शाखा परिवर्तन निम्नांकित आधार पर किया जा सकेगा :–

(i) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता में तृतीय सेमेस्टर में रिक्ति होने पर समान संस्थान में शाखा परिवर्तन हो सकेगा।

(ii) शाखा परिवर्तन के फलस्वरुप संबंधित शाखा में प्रवेश क्षमता के 75 प्रतिशत से कम छात्र संख्या नहीं होनी चाहिए।

(iii) किसी शाखा में रिक्ति की गणना निम्न प्रकार से की जाएगी :–

रिक्ति = कुल स्वीकृत प्रवेश क्षमता – (नियमित छात्र जो तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश के योग्य हैं + पूर्ववर्ती छात्र जो तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश के योग्य हैं)।

अगर यह अन्तर शून्य या ऋणात्मक हो तो शाखा में परिवर्तन नहीं हो सकेगा।

(iv) शाखा परिवर्तन प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर के प्राप्तांक के योग के आधार पर किया जाएगा।

(v) वही छात्र शाखा परिवर्तन के योग्य माने जायेंगे जो प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर के सभी विषयों में उत्तीर्ण हुए हों।

(vi) प्रथम वर्ष में समान प्राप्तांक होने पर बी.सी.ई.सी.ई. में उच्च मेधा प्राप्त छात्रो को प्राथमिकता दी जाएगी।

(vii) द्वितीय सेमेस्टर के परीक्षाफल प्रकाशन के 15 दिनों के अन्दर संबंधित संस्थान के प्राचार्य शाखा परिवर्तन का प्रस्ताव विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग को प्रेषित करेंगे। विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अनुमोदनोपरान्त ही संबंधित संस्थान के प्राचार्य शाखा परिवर्तन का आदेश निर्गत कर सकेंगे।

(viii) शाखा परिवर्तन की सूचना अविलम्ब संबंधित विश्वविद्यालय /राज्य प्रावैधिकी शिक्षा पर्षद, बिहार को प्राचार्य द्वारा दी जाएगी।

3. शाखा परिवर्तन को अधिकार के रुप में नहीं लिया जाएगा।

4. यह संशोधित नियमावली तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

ह0 / –

उप सचिव
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक : वि०प्रा०(II)छात्र–02 / 2017 / 2353 पटना, दिनांक : 21/09/2017

प्रतिलिपि : कुलसचिव / परीक्षा नियंत्रक, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, बिहार, पटना / परीक्षा नियंत्रक, बी.सी.ई.सी.ई. बोर्ड, पटना / सभी अभियंत्रण महाविद्यालय / सभी राजकीय पोलिटेकनिक / राजकीय महिला पालिटेकनिक संस्थान / सचिव / परीक्षा नियंत्रक, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/09/17

उप सचिव
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना